



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 732]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 29, 2011/वैशाख 9, 1933

No. 732]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 29, 2011/VAISAKHA 9, 1933

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2011

का.आ. 909(अ).—केन्द्र सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मई, 2011 की पहली तारीख को, सन्दर्भित अधिनियम के प्रावधानों के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में निर्धारित करती है।

[फा.सं. II/21022/10(1)/2010-एफ.सी.-III]

जी.वी.वी. शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2011

S.O. 909(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), the Central Government hereby appoints the 1<sup>st</sup> day of May, 2011 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No. II/21022/10(1)/2010-FC-III]

G. V. V. SARMA, Jt. Secy.